

सूचना के अधिकार 2005 के क्रियान्वयन हेतु जानकारी
कार्यालय प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण भाला सागर

4.1 (B) (I)

(1) लेखा प्रशिक्षण शाला में लिपिकीय कर्मचारियों को 2½ माह के सत्र में नियमित प्रशिक्षणार्थियों के रूप में शासकीय लेखों के संधारण से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक नियमित प्रशिक्षण सत्र के पश्चात् 1½ माह की अवधि में सशुल्क अल्पकालीन प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाते हैं।

(2) लेखा प्रशिक्षण में सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संस्थाओं के लिपिकीय कर्मचारी प्रवेश ले सकते हैं।

(3) लेखा प्रशिक्षण शाला का उद्देश्य सभी लिपिकीय कर्मचारियों को कार्यालय के लेखे संधारण करने एवं सभी प्रशासनिक नियमों का ज्ञान कराकर लेखा कार्य हेतु प्रशिक्षित करना है।

4.1 (B) (II)

लेखा प्रशिक्षण शाला में निम्नांकित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पद स्वीकृत है।

(1) प्राचार्य : म.प्र. वित्त सेवा अधिकारी के राजपत्रित संवर्ग से प्राचार्य का पद स्वीकृत है। प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला का कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी होता है। लेखा प्रशिक्षण शाला के संचालन सहित कार्यालय प्रमुख के सभी दायित्व प्राचार्य को पूर्ण करने पड़ते हैं।

(2) व्याख्याता : लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षार्थियों को समुचित प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व व्याख्याता का होता है। म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के अराजपत्रित संवर्ग से व्याख्याता की नियुक्ति वित्त विभाग द्वारा की जाती है।

(3) उ.श्रे.लि. वर्ग - 2 : कार्यालय के वित्तीय लेखाओं के सम्पादन कार्य हेतु लेखा प्रशिक्षण शाला में उ.श्रे.लि. का पद स्वीकृत है।

(4) कोष लेखा लिपिक : कार्यालय की आवक, जावक एवं टंकण आदि कार्यों के सम्पादन हेतु एक कोष लेखा लिपिक का पद स्वीकृत है जिससे के द्वारा समस्त लिपिकीय कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

(5) भृत्य : दो पद भृत्यों के स्वीकृत है जो नियमित स्थापना के अंतर्गत है । इनके द्वारा कार्यालय प्रमुख एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा सौंपे गये कार्य सम्पादित किये जाते हैं ।

(6) चौकीदार : कार्यालय की चौकीदार हेतु जिलाध्यक्षद्वारा पद एक चौकीदार का पद स्वीकृत है। जिसके द्वारा कार्यालय की चौकीदारी कार्य सम्पादित किया जाता है।

(7) फर्गस एवं वाटर मैन : एक वाटर मैन एवं फर्गस के पद पर नैमित्तिक मद में कार्यरत एक कर्मचारी को जिलाध्यक्ष दर पर भुगतान किया जाता है जिसको कार्यालय की सफाई एवं प्रशिक्षणार्थियों को पानी आदि पिलाने आदि का कार्य सौंपा जाता है।

4.1 (B) (III)

लेखा प्रशिक्षण शाला में नस्ती को प्रारम्भिक तौर पर कोष लेखा लिपिक अथवा उ.श्र.लि द्वारा संधारित किया जाता है। तत्पश्चात् नस्ती व्याख्याता के समक्ष अभिमत हेतु प्रस्तुत की जाती है। व्याख्याता के अभिमत उपरान्त आदेश हेतु नस्ती प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

4.1 (B) (IV)

नियमित लेखा प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयुक्त कोष एवं लेखा संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा निर्धारित किया गया है। सशुल्क अल्प कालीन प्रशिक्षण हेतु आयुक्त कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा प्रत्येक नियमित प्रशिक्षण सत्र के उपरान्त 1½ माह की अवधि निर्धारित है। नियमित लेखा प्रशिक्षण का सत्र 2½ माह की अवधि का होता है।

लेखा प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं है। सशुल्क अल्प कालीन प्रशिक्षण में बजट आवंटन नहीं होने से कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सशुल्क अल्प कालीन प्रशिक्षण के लिये भी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं है।

4.1 (B) (V)

कार्यालय में लेखा प्रशिक्षण शाला का वित्तीय नियमों से सम्बन्धित एक पुस्तकालय है जिसका प्रभार व्याख्याता के पास है। लेखा प्रशिक्षण में प्राप्त शासनादेशों एवं निर्देशों की नस्ती उ.श्र.लि/ को.ले.लि द्वारा संधारित की जाती है।

लेखा प्रशिक्षण भाला सागर में संधारित पंजियो एवं नस्तियों का
विवरण निम्नानुसार है।

4.1 (B) (VI)

S.No.	Name of Documents	Kind of Document Micro Film, Register folder, etc.	प्रभारी कर्मचारी
1	शासकीय रोकड़ बही	पंजी	को.ले.लि / लेखापाल के प्रभार में
2	स्वाध्यायी प्रशिक्षणार्थियों की फीस की रोकड़ वही	पंजी	---"---
3	देयक पंजी	पंजी	---"---
4	नियमित छात्रों की प्रवेश पंजी	पंजी एवं नस्ती	---"---
5	स्वाध्यायी छात्रों की पंजी	पंजी	---"---
6	परीक्षा कार्यक्रम नस्ती	नस्ती	---"---
7	सत्रों की नस्तियां 1987 से आज तक	नस्ती	---"---
8	लाइब्रेरी पंजी	पंजी	व्याख्याता के प्रभार में
9	परीक्षा परिणामोंकी पंजी एवं नस्ती	पंजी एवं नस्ती	को.ले.लि / लेखापाल के प्रभार में
10	मृत स्कंध पंजी	पंजी एवं नस्ती	---"---
11	नासवान सामग्री की पंजी	पंजी एवं नस्ती	---"---
12	स्टेशनरी पंजी	पंजी एवं नस्ती	---"---
13	पुस्तकों की वितरण पंजी	पंजी	व्याख्याता के प्रभार में
14	आवक पंजी	पंजी	को.ले.लि / लेखापाल के प्रभार में
15	जावक पंजी एवं सर्विस पोष्टेज पंजी	पंजी	---"---
16	प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी	पंजी	व्याख्याता के प्रभार में
17	कार्या. कर्म. की उपस्थिति पंजी	पंजी	को.ले.लि / लेखापाल के प्रभार में
18	वर्दी पंजी	पंजी	---"---
19	डी.पी.एफ कटोत्रा पंजी	पंजी	---"---
20	जी.आई. एस. कटोत्रा पंजी	पंजी	---"---
21	जी.पी.एफ. कटोत्रा पंजी	पंजी	---"---
22	यात्रा देयक	पंजी एवं नस्ती	---"---
23	चिकित्सा देयकों की पंजी	पंजी एवं नस्ती	---"---
24	प्रोफएसनल टैक्स कटोत्रा	पंजी	---"---
25	अनाज अग्रिम कटोत्रा पंजी	पंजी	---"---
26	त्यौहार अग्रिम कटोत्रा पंजी	पंजी	---"---
27	स्कूटर अग्रिम पंजी	पंजी	---"---
28	कर्मचारियों के सेवा अभिलेख	पंजी एवं नस्ती	---"---

4.1 (B) (VIII)

लेखा प्रशिक्षण शाला में संचालन अथवा उन्नयन हेतु कोई भी कमेटी बनाये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः जन प्रतिनिधियों की भागीदारी निरंक है। प्रशिक्षण

शाला में नियमित प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश हेतु एक विभागीय चयन समिति निर्धारित है जिसके संयुक्त संचालन कोष एवं लेखा सागर अध्यक्ष है तथा प्राचार्य एवं सहायक संचालक कोष एवं लेखा को सदस्य बनाया गया है।

4.1 (B) (VIII)

लेखा प्रशिक्षण शाला में सलाह हेतु किसी बोर्ड, कौन्सिल अथवा समिति का गठन शासन द्वारा नहीं किया गया है अतः जन प्रतिनिधियों की भागीदारी निरंक है।

4.1 (B) (IX)

कार्यालय के कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र	नाम	पद	पता एवं फोन नम्बर
1	श्री एल.एल. सौनकिया	प्राचार्य	वेयर हाउस रोड श्रीराम कालोनी गोपालगंज सागर दूरभाष 224737 (नि) 224879 (कार्या)
2	-----व्याख्याता का पद रिक्त है।-----		
3	श्री डी.एस. धुर्वे	उ.श्रे.लि	निलम्बित है तथा विभागीय जांच हेतु सं.सं. कोष एवं लेखा कार्यालय में संलग्न है।
4	श्री विक्रम सिंह	को.ले.लि	वृन्दावन वार्ड अहमद नगर सागर (म.प्र.)
5	श्री तुलसीराम	भृत्य	धन्सू मुन्सी की मस्जिद के बगल में शनीचरी मोहल्ला सागर
6	श्री शंकर लाल	भृत्य	सन्त कबीर वार्ड सागर (म.प्र.)
7.	श्री रामप्रताप	नैमेतिक चौकीदार	गुलाब कॉलोनी तिली सागर (म.प्र.)
8.	श्री महेन्द्र कुमार	नैमेतिक वाटरमेन एवं फर्सास	चौपड़ा फर्स गोपालगंज सागर (म.प्र.)

4.1 (B) (X)

लेखा प्रशिक्षण शाला सागर में पदस्थ कर्मचारियों को निम्नानुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जाता है। किसी भी कर्मचारी को ओवर टाईम अथवा कठिन परिश्रम के लिये एलाउन्स देय नहीं है।

S.No.	Name	Remuneration	Compensation
1	श्री एल.एल. सौनकिया प्राचार्य	15441	---''---
2	व्याख्याता का पद रिक्त है।	—	—
3	श्री डी.एस. धुर्वे निलम्बित	—	—
4	श्री विक्रम सिंह को.ले.लि	4881	—
5	श्री तुलसी राम भृत्य	5263	—
6	श्री शंकर लाल भृत्य	5472	—

S.No.	Name	Remuneration	Compensation
7	श्री रामप्रताप चोकीदार	2280	—
8	श्री महेन्द्र कुमार रैकवार फर्राश एवं वाटर मेन	2280	—

4.1 (B) (XI)

लेखा प्रशिक्षण शाला को वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये प्रदाय आवंटन एवं

व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

S.No.	Budge Head	Name of Work	Year	Allocation Exp.
1	2054 Treasruy and Account	Salary ad all	2005-2006	493000
	—“—	Wages	—“—	10000
	—“—	T.A.	—”—	6000
	—“—	Office Exp.	—“—	28100

4.1 (B) (XII)

लेखा प्रशिक्षण शाला द्वारा किसी प्रकार की आम जनता को लाभान्वित किये जाने हेतु किसी भी योजना की संचालन नहीं किया जाता है। यहां पर केवल शासकीय/ अर्द्धशासकीय कार्यालयों में पदस्थ लिपिकीय कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है।

4.1 (B) (XIII)

इस कार्यालय में रियायतों एवं सुविधाओं की सूची निरंक है।

4.1 (B) (XIV)

कार्यालय में सभी जानकारियां नस्तियों एवं पंजियों के रूप में संधारित की गयी है। विभिन्न जानकारियों की स्थिति निम्नानुसार है।

S.No.	Categories	Head Copy	Electronic form
1	लेखा	पंजी	—
2	लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजी	—

S.No.	Categories	Head Copy	Electronic form
3	लेखा	पंजी	—
4	लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजी	—
5	लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजी	—
6	लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजी	—
7	लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजी	—
8	लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भंडार	पंजी	—
9	लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजी	—
10	भंडार	पंजी	—
11	भंडार	पंजी	—
12	भंडार	पंजी	—
13	लेखा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजी	—
14	लेखा एवं स्थापना	पंजी	—
15	लेखा एवं स्थापना	पंजी	—
16	लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजी	—
17	स्थापना	पंजी	—
18	लेखा एवं स्थापना	पंजी	—
19	लेखा	पंजी	—
20	लेखा	पंजी	—
21	लेखा	पंजी	—
22	लेखा	पंजी	—
23	लेखा	पंजी	—
24	लेखा	पंजी	—
25	लेखा	पंजी	—
26	लेखा	पंजी	—
27.	लेखा	पंजी	—
28.	स्थापना	पंजी	—

4.1 (B) (XV)

लेखा प्रशिक्षण शाला में वित्तीय नियामों से सम्बन्धित पुस्तकों का एक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें प्रशिक्षणार्थियों को प्रदाय की जाती है। आम जनता के लिये इस पुस्तकालय में कोई भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है।

4.1 (B) (XVI)

संभागीय लेखा प्रशिक्षण शाला सागर के लोक सूचना अधिकारी से सम्बंधित विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है ।

1. नाम – एल.एल. सौनकिया
2. पद – प्राचार्य
3. फोन नम्बर – कार्यालय (07582) 224879

निवास (07582) 224737

4. ई-मेल का पता
5. कार्य का स्थान एवं पता – कार्यालय लेखा प्रशिक्षण शाला चौरसिया भवन, सेंट्रल बैंक गोपालगंज भवन की उपरी मंजिल, गोपालगंज सागर
6. जनता से मिलने का समय – 10.30 पूर्वाह्न से 5.30 अपराह्न तक

4.1 (B) (XVII)

जनहित में कोई भी जानकारी इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। लेखा प्रशिक्षण के सत्र प्रारम्भ होने की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है।

izkpk;Z
ys[kk izf'k{k.k
“kkyk
lkxj 1/4e-iz1/2

